उत्तर प्रदेश शासन

न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग-1

संख्या-28/2021/सा0-1146/सात-न्याय-1-2021-143/2006

दिनांक : लखनऊ 11 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) (संशोधन) नियमावली, 2021

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद, एतद्द्वारा अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार), नियमावली, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

1. नाम और प्रारंभ:- (एक) यह नियमावली "इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) (संशोधन) नियमावली, 2021" कही जाएगी।

(दो) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:- नियमावली का तात्पर्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार), नियमावली, 2006 से है।

3. नियम 4 में संशोधन:- नियमावली के नियम 4 का उपबंध, निम्नवत संशोधित किया जायेगा:-

विद्यमान नियम	**संशोधित/प्रस्तावित नियम**
4. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ नकद या ड्राफ्ट या भुगतान ओदश संलग्न होगा जो यथास्थिति महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या सम्बन्धित जिला न्यायालय के जिला जज के पक्ष में निम्नलिखित दरों से आहरित होगा: -	4. प्रत्येक आवेदन के साथ यथास्थिति, महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या संबंधित जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश के पक्ष में आहरित नकदी या ड्राफ्ट या भुगतान आदेश संलग्न होगा।
(एक) रु0 250/- यदि निवेदित सूचना निविदा दस्तावेजों/बोलियों/मूल्य विवरणों (कोटेशंस)/व्यवसाय संविदा से सम्बन्धित हो	(एक) 250/- रूपये, यदि अनुरोधकृत सूचना डिस्केट्स, फ्लॉपीस, टेप्स वीडियो कैसेट्स या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो या प्रिंटआउट

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अथवा निवेदित सूचना डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स के रूप में हो या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो या प्रिंट आउट के माध्यम से हो जहां ऐसी सूचना किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचित होती है। (दो) रु0 50/- यदि उपरोक्त (एक) से भिन्न रूप से प्राप्त की जाए।	के माध्यम से हो जहां ऐसी सूचना किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत हो। (दो) 50/- रूपये यदि सूचना उपरोक्त (एक) से भिन्न रूप में प्राप्त की जाय।

4. नियम 5 में संशोधन:- नियमावली के नियम 5 का उपबंध निम्नवत संशोधित किया जाएगा:-

विद्यमान नियम	**संशोधित/प्रस्तावित नियम**
5. यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो आवेदक केवल रुपये की दर से नकद भुगतान करने के बाद ही सूचना का हकदार होगा। 15/- प्रति पृष्ठ सूचना उसे दी जानी है।	5. यदि आवेदन की अनुज्ञा दी जाती है, तो आवेदक सूचना का हकदार तभी होगा जब वह स्वयं को प्रदान की जाने वाली सूचना के 5/- रूपये प्रति पृष्ठ की दर से नकद भुगतान करेगा।

5. नियम 20 में संशोधन :- नियमावली के नियम 20 का उपबंध, निम्नवत संशोधित किया जायेगा:-

विद्यमान नियम	**संशोधित/प्रस्तावित नियम**
20. इन नियमों में कहीं और किसी भी बात के होते हुए भी, आवेदक को मांगी गई जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, यदि और केवल यदि (ए) ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना है	20. इस नियमावली में अन्यत्र कहीं अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आवेदक को अनुरोध कृत सूचना ऐसी सूचना के सिवाय उपलब्ध करायी जायेगी जो अधिनियम की योजना के अधीन छूट प्राप्त हो, यदि और केवल यदि, (क) ऐसी सूचना प्रस्तुत करनी हो।
(i) एक सकारात्मक दावे के साथ अनुरोध किया गया है कि ऐसी जानकारी प्राप्त करने का मकसद उचित और कानूनी है;	निकाल दिया गया।
(ii) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार;	(एक) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार;
(iii) उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के संसाधनों को बदलने की संभावना नहीं है;	(दो) यथास्थिति उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के संसाधनों को अंधाधुंध रूप से परिवर्तित किया जाना सम्भव न हो;

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iv) संबंधित रिकॉर्ड की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक होने की संभावना नहीं है और	(तीन) प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के लिये घातक होना संभाव्य न हो और
(v) भौतिक संबंध में प्रचलित किसी कानून या प्रथा के विरुद्ध अन्यथा नहीं;	(चार) किसी विधि या सारवान रूप से प्रचलित प्रथा के विरूद्ध अन्यथा रूप में न हो;
और (बी) वहां के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के बाद, माननीय मुख्य न्यायाधीश, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक, या इसकी लखनऊ बेंच के किसी अन्य माननीय न्यायाधीश से इस संबंध में अनुमति प्राप्त की गई है, जो उस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जा सकता है या किया जा सकता है।	निकाल दिया गया।

आज्ञा से,
ह0/प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASHAN
NYAYA (UCHCHA NYAYALAYA) ANUBHAG-1
No.28/2021/SA.-1146 /VII-Nyay-1-2021-143/2006
Dated : Lucknow, 11 August, 2021

NOTIFICATION
Miscellaneous

THE ALLAHABAD HIGH COURT (RIGHT TO INFORMATION) (AMENDMENT) RULES, 2021

In exercise of powers conferred by section 28 of the right to information Act, 2005, the chief Justice of Judicature at Allahabad, hereby makes the following amendment in Allahabad High Court (Right to information), Rules, 2006 to carry out the provisions of the Act.

1.Title and commencement:-

(i) These rules shall be called "Allahabad High Court (Right to information) (Amendment) Rules, 2021"

(ii) These rules shall be come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Definition:-

The rule mean Allahabad High Court (Right to information), Rules, 2006."

3. **Amendment in Rules 4:-** The provision of Rules 4 of the Rules shall be amended as follows:-

Existing Rules	Amended/Proposed Rule
4. Each application shall be accompanied by cash or draft or pay order drawn in favour of the Registrar General, High Court, Allahabad or the District Judge of the concerned district court as the case might be, at the following rates:-	4. each application shall be accompanied by cash or draft or pay order drawn in favour of the Registrar General, High Court, Allahabad or the District Judge of the concerned district court as the case might be, at the following rates:-
(i) Rs. 250/- if the requested information is related to tenders document/bids/	**(i) Rs. 250/- if the requested information is in the from of**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

quotations/business contract or requested information is in the from of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or through printouts where such information is stored in any electronic from. (ii) Rs. 50/- if information is obtained other than (i) above.	**diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in any electronic form.** (ii) Rs. 50/- if information is obtained other than (i) above.

4. **Amendment in Rules 5:-** The provision of Rule 5 of the Rules shall be amended as follows:-

Existing Rules	Amended/Proposed Rule
5. If the application is permitted, the applicant shall be entitled to the Information only after he makes payment in cash at the rate of Rs. 15/- per page of information to be supplied to him.	**5.** If the application is permitted, the applicant shall be entitled to the Information only after he makes payment in cash at the rate of Rs. 5/- per page of information to be supplied to him.

5. **Amendment in Rules 20:-** The provision of Rule 20 of the Rules shall be amended as follows:-

Existing Rules	Amended/Proposed Rule
20. Notwithstanding anything contained anywhere else in these Rules, the applicant will be furnished with the information requested for, if and only if (a) the furnishing of such information is	20. Notwithstanding anything contained anywhere else in these Rules, the applicant will be furnished with the information requested for, **except the information which is exempted under the scheme of the Act,** if and only if (a) the furnishing of such information is
(i) requested for with a positive assertion that the motive for obtaining such information is proper and legal;	**Deleted**
(ii) in accordance with the provisions of the said Act;	**(i)** in accordance with the provisions of the said Act;
(iii) not likely disproportionately to divert the resource of the High Court or the Subordinate Court, as the case might	**(ii)** not likely disproportionately to divert the resource of the High Court or the Subordinate Court, as the case might

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

be; (iv) not likely to be detrimental to the safety or preservation of the record in question and (v) not otherwise against any law or practice prevailing in the material regard; and (b) after the processing of the application there for, permission has been obtained in that behalf from Hon'ble the Chief Justice, or any of the other Hon'ble Judges of the High Court of Judicature at Allahabad, or its Lucknow Bench, who might in that regard be, or have been, nominated by Hon'ble the Chief Justice.	be; **(iii)** not likely to be detrimental to the safety or preservation of the record in question and **(iv)** not otherwise against any law or practice prevailing in the material regard; **Deleted**

By Order of

Hon'ble Governor of U.P.

Promod Kumar Srivastava-II
Principal Secretary,
Law Deptt.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।